BCCI BULLETIN

Vol. 55 | August 2024 | No. 08

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में 15 अगस्त 2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने झंडोतोलन के बाद कहा कि आज का दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। उन्हीं की बदौलत हम आज एक आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन केवल अपने इतिहास को याद करने का ही नहीं है। ये तारीख हमें हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने की भी याद दिलाती है। पिछले 77 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई है।

श्री पटवारी ने कहा कि आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, इन्हें दूर करने के लिए हमें एकजुट प्रयास करना होगा क्योंकि इसके बिना आजादी अधूरी है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि देश की प्रगति में अपना हर संभव योगदान देंगे। भारत को एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए अपने स्तर पर जो बन पड़ेगा, करेंगे।

इस कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री प्रदीप जैन, श्री राजेश जैन, श्री पी० के० अग्रवाल, श्री मुकेश जैन, श्री अमर अग्रवाल, श्री पी० के० सिंह, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम डोलिया, श्री राकेश कुमार, श्री अशोक कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

सीएम ने सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन एवं शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके पहले मुख्यमंत्री को सीमेंट निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि इस सीमेंट प्लांट की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपये है। इसमें प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन किया जायेगा। इस सीमेंट प्लान्ट का निर्माण होने से 250 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी जबकि 1 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आगामी दिनों में अडाणी समूह द्वारा बिहार में 5500 करोड़ के नये निवेश प्रस्तावित हैं। इसमें मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नये सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना, पटना के आस-पास लॉजिस्टिक (गोदाम) व्यवसाय व अररिया, किशनगंज, बेगूसराय में नये कृषि लॉजिस्टिक (गोदाम) आदि शामिल हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.8.2024)

वस्तुओं की खरीद के लिए उद्योग विभाग बना नोडल

बिहार में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में प्राथमिकता देने के लिए लायी गयी नयी नीति "बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024" क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गयी है। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि नोडल विभाग विभिन्न श्रेणियों (जैसे कि वस्तुओं या सेवाओं) की खरीद के लिए, जिनके लिए राज्य में पर्याप्त क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा मौजूद है, खरीद अधिमानता के उद्देश्य से क्रय की विषय-वस्तु को अधिसूचित

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

जीएसटी संग्रह जुलाई 2024 में सलाना आधार पर 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रूपये हो गया है। इसके पिछले महीने जून में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रूपये रहा था। एक वर्ष पहले जुलाई 2023 में 1.65 लाख करोड़ रूपये का संग्रह आया था। इस वित्त वर्ष 2024 –25 के अप्रील महीने में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रहा था जो कि रिकार्ड है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में सीजीएसटी के जरिये 32,386 करोड़ रूपये, एसजीएसटी के जरिये 40,289 करोड़ रूपये, आईजीएसटी के जरिये 96,447 करोड़ रूपये और सेस के जरिये 12,953 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ। **देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छी बात है।**

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 3 अगस्त 2024 को नवादा के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नार्थ प्राइवेट लिमिटेड के सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस सीमेंट प्लांट के बनने से 250 लोगों को प्रत्यक्ष एवं करीब 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। 1400 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित इस प्लांट से छः मिलियन टन सीमेंट का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।

सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में अडानी समूह द्वारा बिहार में 5500 करोड़ रूपये का नया निवेश प्रस्तावित है। इसमें मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नये सीमेंट प्लांट की स्थापना, पटना के आस–पास लॉजिस्टिक (गोदाम) व्यवसाय और अररिया, किशनगंज, बेगूसराय में नये कृषि लॉजिस्टिक (गोदाम) सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इस नये निवेश से बिहार के 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

बिहार की निवेश की अच्छी नीतियों के चलते ही देश के कोने–कोने से निवेशक/उद्योगपति बिहार में निवेश को इच्छुक हैं।

पिछले छः वर्षो के दौरान बिहार में इथेनॉल के उत्पादन में करीब 10 गुणा वृद्धि हुई। सूबे में 2018 में इथेनॉल का उत्पादन मात्र 5.77 करोड़ लीटर था जो 2024 की पहली छमाही में ही 32.13 करोड़ लीटर पहुँच गया है। अधिकारियों के मुताविक इस साल कई नई यूनिटों से उत्पादन शुरू होने के चलते इस साल के अंत तक उत्पादन 60 करोड़ लीटर पार करने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियों के स्तर पर भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी है। अभी भी 15 करोड़ लीटर के करीब ही इथेनॉल का भंडारण संभव हो पा रहा है। फलस्वरूप, उत्पादकों के टैंकर कई दिनों तक पेट्रोलियम कम्पनियों के प्लांटों में खड़े रखे जाने के बाद दक्षिण भारत के राज्य केरल आदि को भेज दिये जा रहे हैं। इससे उत्पादकों की लागत बढ़ रही है। दरअसल, पेट्रोलियम कम्पनियाँ इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिश्रण को लेकर कर रही है। इसको लेकर पेट्रोलियम कम्पनियों का बिहार सरकार व निजी डिस्टिलरियों के साथ समझौता हुआ है। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण की मंजूरी दी है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है।

पेट्रोलियम कम्पनियों को अपने भंडारण क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए ताकि इथेनॉल उत्पादकों के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी ना हो।

गंगा पर 443 करोड़ में बने पुल के बिहार एप्रोच को केन्द्र की मंजूरी मिल गयी है। इससे पटना–बलिया के बीच की दूरी 45 किलोमीटर घटेगी। इस एप्रोच रोड के बन जाने से उत्तरप्रदेश और बिहार के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। दियारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए बाजार के नये अवसर सृजित होंगे, रोजगार बढ़ेगा। **पटना से बलिया की दूरी 115 किलोमीटर ही रह जायेगी। अभी पटना से बक्सर होकर 160 किलोमीटर दूरी तय कर बलिया पहुँचना पड़ता है। चैम्बर की ओर से भी यह मांग की गयी थी।**

सरकार ने बैंक के जमाकर्त्ताओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए लोकसभा में बैंककारी विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक में हर बैंक खाताधारक को अपने खाते में चार ''नॉमिनी'' जोड़ने का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक सिर्फ एक ही नॉमिनी का उल्लेख करने का नियम है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कम्पनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 एवं बैंकिंग कम्पनियाँ अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है।

जीएसटी पंजीकरण में बायोमीट्रिक आधारित प्रमाणीकरण के लिए बिहार में 41 सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इसमें 10 सुविधा केन्द्र केन्द्रीय जीएसटी प्राधिकार और 31 वाणिज्य–कर विभाग द्वारा संचालित होंगे। अगस्त माह के अंत तक ये केन्द्र शुरू करने का लक्ष्य है।

''बिहार खरीद अधिमानता नीति–2024'' प्रभावी हो गयी है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एम–04–03/2021–8550 दिनांक 7 अगस्त 2024 की प्रति सदस्यों की सेवा में उनके ईमेल/व्हाटसएप पर सूचनार्थ भेजी गयी है।

दिनांक 16 अगस्त 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के साथ चैम्बर के सदस्यों की एक बैठक हुई। यह बैठक काफी उपयोगी रही। इस बैठक से संबंधित रिपोर्ट इस बुलेटीन में प्रकाशित है।

दिनांक 16 अगस्त 2024 को ही 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक वाणिज्य–कर विभाग की ओर से व्यवसायियों के वैट (VAT) संबंधी पुराने मामलों के समाधान हेतु एकमुश्त समझौता योजना के लिए चैम्बर प्रांगण में शिविर आयोजित की गयी थी। इस शिविर में 361 व्यवसायियों ने मामलों का समाधान कराया।

एक माह के अन्दर अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड से अपना मोबाईल नम्बर लिंक करवा लें। ऐसा नही होने पर लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वाहन मालिक द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र में लिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिन के अंदर सक्षम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर देना होगा। नम्बर अपडेट नहीं रहने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना पायेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है – वाहनों पर HSRP अनिवार्य, जिले के सभी शो रूम की MVI करेंगे जाँच। बिना नंबर प्लेट शो रूम से गाड़ी निकली तो रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। वाहनों पर HSRP लगाने की जिम्मेवारी संबंधित कंपनी व डीलर की होगी।

मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है तो डीलर वह वाहन, स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उसपर HSRP न लगी हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192B के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी। **अतः बिना HSRP प्लेट के गाड़ी की डिलिवरी न लें।**

सादर,

आपका
सुभाष पटवारी

महामहिम राज्यपाल, बिहार एवं पूर्व राज्यपाल मेघालय एवं सिक्किम का चैम्बर ने किया सम्मान

महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं पूर्व राज्यपाल मेघालय एवं सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री सांवल राम डूलिया एवं अन्य।

महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं पूर्व राज्यपाल मेघालय एवं सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद जी दिनांक 11 अगस्त, 2024 को दधीचि देहदान समिति के कार्यक्रम में चैम्बर में पधारे थे।

कार्यक्रम से पूर्व, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने दोनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं श्री सांवल राम डूलिया उपस्थित थे।

महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं पूर्व राज्यपाल मेघालय एवं सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद जी के साथ वार्ता में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया तथा अन्य।

(पृष्ठ 1 का शेष)

करेगा। इसके तहत वस्तुओं की खरीद के लिए उद्योग विभाग और सेवाओं की खरीद के लिए प्रशासी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में नोडल विभाग के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

नीति के अनुसार बिहार में स्थापित कंपनियों को एल-1 (निविदा में सबसे कम बोली लगाना) के 15 फीसदी की सीमा के भीतर रहने पर 25 फीसदी ऑर्डर दिया जायेगा। बिहार में उत्पादन कर रही कंपनियों को सरकारी क्रय में प्राथमिकता मिलेगी और भविष्य में स्थापित होने वाली कंपनियों को भी तरजीह दी जायेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2024)

मखाना से लेकर शहद प्रोसेसिंग तक को उद्यम बनाने में दिलचस्पी

कृषि से जुड़े खाद्य उत्पादों के बड़े बाजार को ध्यान में रख बिहार के युवा अब इस क्षेत्र में उद्यमिता को आगे आ रहे। इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी सेक्टरों के लिए जो आवेदन आए हैं उनमें युवाओं की इस क्षेत्र में दिलचस्पी साफ-साफ दिख रही है। आटा, सत्तू और बेसन के अलावा कई ऐसे सेक्टर जिनका संबंध कृषि क्षेत्र से सीधे तौर पर है, में युवाओं ने आवेदन किया है। मखाना से लेकर शहद प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यम शुरू किए जाने को ले आवेदन आए हैं।

मखाना और शहद प्रोसेसिंग का क्षेत्र : बिहार के मखाना को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक हेल्दी स्नैक्स की पहचान मिल चुकी है। बिहार के 17898 युवाओं ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने का आवेदन किया है। इसी तरह शहद के प्रसंस्करण का भी क्षेत्र है। बिहार में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला शहद उपलब्ध है। इसके बाद भी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड शहद बिहार में खूब बिक रहे हैं। इसे ध्यान में रख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 679 लोगों ने शहद प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आवेदन किया है।

कृषि क्षेत्र में ड्रोन की सेवा बना नया सेक्टर : कृषि क्षेत्र में ड्रोन की सेवा उपलब्ध कराना अब एक नए सेक्टर के रूप में उभर रहा। ड्रोन की सेवा दवाओं के छिड़काव के लिए ली जाती है। एक वर्ष पहले भी कृषि ड्रोन के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन आए थे। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 2066 युवाओं ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस सेक्टर के लिए आवेदन किया है।

कृषि सेक्टर में मसाला उत्पादन व तेल मिल स्थापित करने के लिए खूब आए हैं आवेदन : कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने की दिशा में उद्योग विभाग को मसाला उत्पादन इकाई व तेल मिल स्थापित करने के आवेदन बड़ी संख्या में मिले हैं। इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार मसाला उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 17898 तथा तेल मिल लगाने के 15966 आवेदन मिले हैं। राईस मिल के लिए 2498 तथा चूड़ा उत्पादन इकाई के लिए 2066 आवेदन आए हैं।

कार्न फ्लेक्स, कार्न पफ, जैम-जेली व फ्रूट जूस क्षेत्र में भी दिलचस्पी : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 1085 युवाओं ने कार्न फ्लेक्स व कार्न पफ की उत्पादन इकाई के लिए आवेदन किया है। वहीं 3320 युवा जैम-जेली, व फ्रूट जूस की उत्पादन इकाई शुरू करना चाहते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.8.2024)

श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ चैम्बर की बैठक

बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, चैम्बर के जीएसटी उपसमिति के सह संयोजक श्री सुनील सराफ तथा बाँयीं ओर महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं अन्य।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर तथा महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 16 अगस्त 2024 को श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री (मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग), बिहार के साथ बैठक हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं आगन्तुकों का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाया जाए, विद्युत दरों को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाए, उद्योगों को पीएनजी पर वैट से छूट दिया जाए, बैंकों द्वारा राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाए, कम-से-कम एक बैंक का मुख्यालय बिहार में हो, हैपोथिकेसन चार्ज को कम किया जाए, पेशा कर को समाप्त किया जाना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट के निबंधन हेतु लगने वाले निबंधन शुल्क को कम किया जाना चाहिए, गैर आवासीय संपत्ति कर को कम किया जाना चाहिए।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने सुझाव दिया कि कमर्शियल बैंक का एक मुख्यालय बिहार में होना चाहिए तथा कमर्शियल बैंक में बिहार के उद्योग से एक डायरेक्टर होना चाहिए। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी में चैम्बर को आमंत्रित किया जाता है परन्तु बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। बोलने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर की ओर से जीएसटी उप समिति के सह-संयोजक श्री सुनील सराफ ने जीएसटी से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

- जीएसटी न्यायाधिकरण का अविलम्ब गठन किया जाना चाहिए।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिटर्न में संशोधन की सुविधा हेतु नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- ई-वे बिल को ब्लॉक करने की वर्तमान अवधि का विस्तार किया जाना चाहिए।
- जीएसटी के अन्तर्गत ई-वे बिल में मामूली विसंगतियों पर भी बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाता है। इसे व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए।
- अचल संपत्ति के निमार्ण से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- GSTR-9 और GSTR-9B में आयकर अधिनियम की तरह संशोधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान होना चाहिए।

श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री (मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग) ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार को इस बजट में किए गए प्रावधान

सदस्यों को संबोधित करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया। बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को मेमोन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

संवाद कार्यक्रम में उपस्थित
चैम्बर एवं अन्य संगठनों के सदस्यगण एवं प्रतिनिधिगण।

का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए चैम्बर एवं कमर्शियल बैंकों के साथ बैठक करेंगे। पीएनजी के वैट दर को कम करने का मामला अभी कैबिनट के पास है, इ-वे बिल की सीमा को बढ़ाने के मामले को काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा, बिहार में अब जिस किसी परियोजना पर काम होगा वह पीपीपी मोड पर ही होगा, उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाया जाएगा, बियाडा के लंबित मामलों का समाधान निकाला जाएगा। आईटी सेक्टर पर विशेष बल दिया जाएगा, बिहार के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पानी और आबादी को संतुलित रखा जाए, इत्यादि।

उन्होंने चैम्बर को आश्वासन दिया कि वे तीन महीने के अन्तराल पर बैठक करते रहेंगे।

कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को शॉल ओढ़ाकर तथा चैम्बर का मेमेंटो एवं कॉफी टेबल बुक भेंटकर सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री अशोक कुमार, श्री पी० के० सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन, श्री राजेश कुमार आर्या, महामंत्री, पटना केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन, श्री विकास कुमार, महामंत्री, बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, श्री उदय शंकर सिंह, अध्यक्ष, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, श्री प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष, पटना सिटी व्यापार मंडल, श्री आदित्य विजय जैन, महामंत्री, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, श्री एन० के० ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पटना चैप्टर), श्री अनिल कुमार अकेला, अध्यक्ष, नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, श्री विनोद कुमार गुप्ता, सचिव, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, श्री अखिलेश कुमार, उपाध्यक्ष, ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, श्री नवीन गुप्ता, महासचिव, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आई.टी. एसोसिएशन, नयी दिल्ली, श्री विकास कुमार, अध्यक्ष, लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री मुकेश कुमार जैन, अध्यक्ष, हथुआ मार्केट व्यवसायी समिति, श्री बिनोद कुमार, अध्यक्ष पाटलीपुत्रा सराफा संघ, श्री प्रदीप कुमार हिसारिया, अध्यक्ष जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बेगुसराय, श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, प्लाई एंड हार्डवेयर एसोसिएशन ऑफ बिहार, एसोसिएशन के अन्य प्रतिनिधि तथा चैम्बर के सदस्यगण सम्मिलित हुए।

महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा चैम्बर प्रांगण से बड़े पैमाने पर पौधारोपण का शुभारम्भ

वृक्षारोपण करते माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ० प्रेम कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत, श्री आशीष प्रसाद।

डॉ० प्रेम कुमार, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रांगण में दिनांक 31 अगस्त 2024 को पौधारोपण किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पेड़-पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। इससे हमें न सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है बल्कि कई प्रकार के फल-फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि मिलती है। यदि घर के अगल-बगल में पौधारोपण किया जाये तो यह हमें गर्मी, भूक्षरण, धूल आदि की समस्या से बचा सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब भी हो सके अपनी सुविधानुसार एक पौधा अवश्य लगायें, पेड़ों का पर्यावरण ही नहीं, धार्मिक आधार पर भी काफी महत्व है, हिंदू धर्म में पेड़ लगाने को परम पुण्य का कार्य माना गया है।

इस अवसर पर डॉ० प्रेम कुमार, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उद्यमियों एवं व्यवसाइयों को पौधारोपण के महत्व को समझाते हुए अनुरोध किया कि अपने घरों, प्रतिस्ठानो जहाँ भी खाली स्थान हो, पौधा अवश्य लगायें, यदि नीचे में खाली स्थान नहीं हो तो छत पर लगायें और उसका पूर्णरूपेण देख-भाल करें।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में अधिकाधिक पेड़ लगे इसके लिए वे स्वयं अभी तक राज्य के 27 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। इस कार्य में धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। पौधारोपण हेतु पटना के सभी वार्डों का सर्वे कराया जा रहा है, मैरीन ड्राइव पर पौधारोपण के लिए नगर विकास विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत, श्री आशीष प्रसाद, श्री राजा बाबु गुप्ता, श्री बिनोद कुमार, श्री रामचंद्र प्रसाद, श्री विकास कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

आंकड़ों के अनुसार, बैंकों के खातों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे हैं जिनके दावेदार नहीं

तैयारी : बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे

पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बैंकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक खाते के नॉमिनी को लेकर किया गया है। नया नियम लागू होने से किसी भी बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। संसद में बिल पेश होने के बाद ही इसके बारे में ज्यादा खुलासा होगा।

कुछ समय पहले ही आरबीआई ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी का नाम भरा जाना अनिवार्य किया था। उससे पहले बिना नॉमिनी के भी खाते खुल सकते थे, क्योंकि फार्म में इस कॉलम को भरा जाना वैकल्पिक था। नॉमिनी के बिना खोले गए खातों की बड़ी संख्या के चलते ही आज देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये यूं ही रखे हैं. मगर कोई दावा करने नहीं आता।

इन बदलावों का मकसद ग्राहक को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। पिछले दिनों जानकारी में आया था कि अलग-अलग बैंकों के खाते में हजारों करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनको लेकर कोई दावेदार नहीं है। इसको लेकर आरबीआई की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया गया था। उसके संतोषजनक परिणाम सामने न आने से नियमों बदलाव करने की तैयारी की जा रही है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.8.2024)

बैंकों में चार नॉमिनी बनाने के कानून पर शहर के विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय

अधिक नॉमिनी से पैसों का ठीक से हो सकेगा बंटवारा

बैंक खाताधारक अब एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा चार नॉमिनी बना सकेंगे। खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट रकम के अनुपात जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा। खाते में जमा पूरी रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा। सरकार ने कहा है कि इन बदलावों में किसी भी बैंक अकाउंट के लिए एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे। नॉमिनी की संख्या चार तक हो सकेगी, जो अभी तक केवल एक ही है।

"केंद्र सरकार का यह कानून परिवार को संयुक्त रखने में सहायक सिद्ध होगा। रुपये को लेकर खाताधारक के नहीं रहने पर परेशानी होती है। एक नॉमिनी रखने में कई बार परेशानी होती है। अधिक नॉमिनी होने से विवाद की स्थिति खत्म होगी और एक से अधिक नॉमिनी होने पर पैसों का सही तरीके से बंटवारा भी हो सकेगा और आसानी से पैसा निकल सकेगा। प्राय: देखा जाता है कि लोग पत्नी को नॉमिनी बनाते हैं। अगर दुर्घटना में दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तब उस पैसे का यदि तीसरा या चौथा नॉमिनी है, तो पैसा निकाल सकता है।"

– पी. के. अग्रवाल

पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 13.8.2024)

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक के साथ चैम्बर की बैठक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री के. वी. बंगार्राजू को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर सदस्यों को संबोधित करते एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री के. वी. बंगार्राजू। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं दाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 29 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक श्री के० वी० बंगार्राजू के साथ बैठक हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चैम्बर ने हमेशा भारतीय स्टेट बैंक के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। हमारे प्रयासों की एसबीआई द्वारा सराहना की गई है, हमें बैंक से निरंतर सभी प्रकार का समर्थन और सहयोग मिला है, जिसके लिए हम वास्तव में आपके पूर्ववर्तियों के बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एसबीआई चैम्बर के साथ समान सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और ऐसे महान मिशनों को अपना सक्रिय समर्थन प्रदान करेगा।

श्री पटवारी ने कहा कि बिहार कपड़ा और चमड़ा, कृषि और कई औद्योगिक क्षेत्रों पर आधारित सबसे तेजी से बढ़ता भारतीय राज्य है। राज्य ने खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कपड़ा और चमड़ा को अपने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा राज्य में तेजी से बढ़ते उद्योगों में से कुछ हैं। बिहार के विभाजन के साथ, कृषि और कृषि आधारित उद्योग राज्य का मुख्य उद्योग बन गए हैं। राज्य में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और केसीसी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी भूमिका रखती है। आईटी आधारित सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों, छोटे उद्योगों के अलावा व्यापार प्रतिष्ठानों आदि जैसे छोटे प्रतिष्ठानों को वित्तपोषित करने की पर्याप्त गुंजाइश है, जिनकी बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख भूमिका है। हमें उम्मीद है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में एसबीआई राज्य के उद्योगों, कृषि और व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए सभी बैंकिंग सहायता प्रदान करेगा।

इस अवसर पर मुख्य महाप्रबन्धक श्री के० वी० बंगार्राजू ने कहा की चैम्बर ग्राहकों की समस्याओं को जानने एवं उसको दूर करने में बैंक को सहयोग करता है, बिहार फास्टेस्ट ग्रोविंग स्टेट है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, टैलेंट है, इसके ग्रोविंग के लिए बैंक तत्पर है। पहले कर्ज मिलने में कठिनाई थी परन्तु अब उसे सरल बना दिया गया है। बैंक व्यापार एवं उद्योग के साथ-साथ सामाजिक उत्थान में सहयोग करता है, जब-जब देश पर आर्थिक संकट आया है, भारतीय स्टेट बैंक ने देश को पूरा सपोर्ट किया है।

मुख्य महाप्रबन्धक ने कहा कि यदि आपके पास बेहतर परियोजना है और आप अपने प्रोजेक्ट से समाज को कुछ देनेवाले है तो ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कदम से कदम मिला कर चलेगा। श्री बंगार्राजू ने सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

मुख्य महाप्रबंधक को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक कि ओर से महाप्रबन्धक श्री आर. नटराजन, श्री प्रभास बोस, उप महाप्रबन्धक श्री तरुण सक्सेना एवं श्री जोरा सिंह के साथ-साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री मुकेश जैन, श्री बिनोद कुमार, श्री विकास कुमार, श्री गणेश खेतड़ीवाल, श्री अखिलेश कुमार, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री ओ० पी० टिबरेवाल, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री अशोक कुमार, श्री राजा बाबु गुप्ता, श्री अभिजीत बैद, श्री बहजाद करीम, श्री राजेश जैन, श्री सुधि रंजन, श्री अनिल पचीसिया, श्री रामचंद्र प्रसाद एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय ने किया।

विलंबित रिटर्न में गलती होने पर नोटिस आएगा

जिन करदाताओं ने समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है, उनके पास विलंबित रिटर्न भरने करने का विकल्प है। हालांकि, इसके लिए उन्हें जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही उनके लिए कई सुविधाएं भी समाप्त हो जाएंगी, इसलिए उन्हें सावधानी से रिटर्न फॉर्म भरना होगा। चूक होने पर आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज सकता है।

5000 रुपये तक का विलंब शुल्क : आयकर कानून के अनुसार, अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो विलंब शुल्क पांच हजार रुपये चुकाना होगा। अगर कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तो एक हजार रुपये चुकाने होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.8.2024)

चैम्बर के सदस्यों के साथ इंडोनेशिया दूतावास के अधिकारियों की बैठक

सदस्यों को संबोधित करते इरविन मुहम्मद अकबर, मिनिस्टर काउंसलर इकोनॉमी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः मोहम्मद इकबाल डजामिल, न्यू ट्रेड एटैशे, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद तथा बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

न्यू ट्रेड एटैशे, मोहम्मद इकबाल डजामिल को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में इरविन मुहम्मद अकबर, मिनिस्टर काउंसलर इकोनॉमी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर तथा पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

इरविन मुहम्मद अकबर, मिनिस्टर काउंसलर इकोनॉमी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर सम्मानित करते पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में मोहम्मद इकबाल डजामिल, न्यू ट्रेड एटैशे, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ नई दिल्ली अवस्थित इंडोनेशिया दूतावास के दो अधिकारी मोहम्मद इकबाल डजामिल, न्यू ट्रेड एटैशे एवं इरविन मुहम्मद अकबर, मिनिस्टर काउंसलर इकोनॉमी से चैम्बर प्रांगण में दिनांक 13 अगस्त 2024 को बैठक आयोजित हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अपने संबोधन में कहा कि इंडोनेशिया दूतावास के अधिकारियों का चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक का मुख्य उद्देश्य इंडोनेशिया में 9 से 12 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले **"ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया 2024"** में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना था।

श्री पटवारी ने बताया कि इस अवसर पर विस्तृत रूप से विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इंडोनेशिया दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि भारत के लोगों के लिए वहाँ पर फूड विवरेजेज एवं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, होम लिविंग, फैशन और सर्विसेज में काफी सम्भावनायें हैं।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री एन० के० ठाकुर, श्री अमर अग्रवाल, श्री गणेश खेतड़ीवाल, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री बिनोद कुमार, श्री नवीन गुप्ता, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री पी० के० सिंह, श्री विकास कुमार, श्री राजेश माखरिया, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम डोलिया, श्री संजय बैद, श्री अरुण कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री अशोक कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

बैठक में उपस्थित सदस्यगण।

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा चैम्बर प्रांगण में एक मुश्त समझौता हेतु कैम्प का आयोजन

कैम्प का अवलोकन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य सी.ए. अरुण कुमार एवं श्री सावल राम डोलिया।

कैम्प में सम्मिलित वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारीगण एवं व्यवसायीगण।

दिनांक 16 अगस्त 2024 को वाणिज्य-कर विभाग की ओर से व्यवसायियों के VAT के पुराने मामले के समाधान हेतु एक मुश्त समझौता योजना के लिए कैम्प का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में किया गया जिसमें 361 व्यवसायियों ने इस योजना का लाभ उठाया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने बताया कि जीएसटी लागू होने के पूर्व के काफी संख्या में व्यवसायियों का मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) का मामला लंबित चल रहा था, जिससे व्यवसायी भी चिंतित थे और वाणिज्य-कर विभाग का भी कार्यभार बढ़ा हुआ था। इसके लिए चैम्बर की ओर से बराबर सरकार से अनुरोध किया जा रहा था कि उन लंबित मामलों के निपटारा हेतु ओटीएस योजना लायी जाए जिससे कि व्यवसायी अपने लंबित मामलों का समझौता करा लें। उन्होंने बताया कि आज के कैम्प में पटना स्थित वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न अंचलों यथा - दानापुर अंचल I एवं II, पटना मध्य अंचल I एवं II, गाँधी मैदान अंचल, पटना दक्षिणी अंचल I एवं II, पटना उत्तरी अंचल, पटना पश्चिमी अंचल, कदमकुआँ अंचल एवं पटना सिटी पूर्वी, पश्चिमी अंचल के अधिकारियों ने कैम्प में भाग लिया एवं उससे संबंधित करीब 361 मामलों का निपटारा किया।

राज्य में वस्त्र उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, 5 योजनाओं को स्वीकृति

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पांच नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने 14 जून को पत्र लिखकर केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह से इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए नई परियोजना, गया जिले के टेकारी-बेलागंज और भागलपुर जिले के मीराचक में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना और गया में राज्य हथकरघा एक्सपो को मंजूरी दी गई है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनएचडीपी) के अंतर्गत भागलपुर में रेशम उद्योग के अंतर्गत भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए 19.44 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एससीडीपी) के अंतर्गत मीराचक, भागलपुर के बुनकरों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे भागलपुर के रेशम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।

नवानगर में कोकाकोला को भूमि आवंटित : उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बक्सर के नवानगर में एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के कोकाकोला के बॉटलिंग प्लांट के लिए जमीन आवंटित की गई है। बियाडा ने 65 एकड़ जमीन आवंटित की है। जल्द ही बॉटलिंग इकाई का निर्माण शुरू होगा। इस पर कंपनी 1235 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.8.2024)

इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिले

इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक श्री राकेश सहगल, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमन कुमार झा एवं मुख्य प्रबंधक श्री शैलेश कुमार दिनांक 14 अगस्त, 2024 को चैम्बर के पदाधिकारियों से मिले एवं इंडियन बैंक की नई योजनाओं से संबंधित विस्तृत विचार-विमर्श किया। इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक श्री राकेश सहगल, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमन कुमार झा एवं मुख्य प्रबंधक श्री शैलेश कुमार द्वारा चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक कुमार उपस्थित थे।

MSMES TO GET 15,000-CRORE SUBSIDY TO ADOPT GREEN TECH

Govt also plans to create e-marketplace for recyclables connecting manufacturers & waste collectors. The government is firming up a Rs. 15,000 crore green scheme for micro, small and medium enterprises (MSMEs) and creating an e-market place for recyclables connecting manufacturers and waste collectors. The scheme, which is expected to be launched by early 2025, includes setting up material recovery facilities (MRF) and facilitating product treatment after consumption. Besides, a dedicated body is expected to be set up to oversee the transition of MSMEs to green energy and to formulate MSME-specific green policies, said officials aware of the developments.

"Under the scheme, MSMEs will receive a subsidy for setting up MRF, navigating extended producer responsibilities concerning safely disposing end-of-life products and adopting other components of the scheme," said one of the officials, who did not wish to be identified. **(Source : E.T. New Delhi, 14.8.2024)**

उद्यमी बनने को साढ़े पांच लाख आवेदन आए, साइबर कैफे खोलने में अधिक रुचि

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सबसे ज्यादा लोगों ने साइबर कैफे और आईटी बिजनेस सेंटर खोलने में रुचि दिखाई है। दूसरे स्थान पर रेडिमेड कपड़ा है। आटा, बेसन, सत्तू, मसाला उत्पादन तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन की तिथि 16 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गई। इस बार 5 लाख 41 हजार 667 आवेदन आए हैं। इसमें से करीब नौ हजार लाभुकों का चयन होना है। लाभुकों का चयन जल्द ही कंप्यूटर लॉटरी द्वारा किया जाएगा। सबसे ज्यादा एक लाख 54 हजार आवेदन मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आए हैं। युवा उद्यमी योजना में 1 लाख 51 हजार 384, महिला उद्यमी योजना के तहत 1 लाख 9 हजार 609, एससी-एसटी योजना के तहत 99875 और अल्पसंख्यक वर्ग में 26382 आवेदन आए हैं।

उद्योग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो साइबर कैफे खोलने के लिए 79,266 लोगों ने आवेदन किया है । रेडिमेड कपड़ा के लिए 56,697, आटा, बेसन, सत्तू, मसाला उत्पादन के लिए 33047, पलवराइजर मशीन के साथ आटा बेसन उत्पादन के लिए 31,545 लोगों ने आवेदन किया है। होटल-रेस्टोरेंट या ढाबा खोलने के लिए 30711 आवेदन आए हैं। सबसे कम आवेदन हल्के वाणिज्यिक वाहनों के बॉडी निर्माण के आए हैं। इस वर्ग में सिर्फ 225 आवेदन आए हैं।

चैम्बर के प्रतिनिधि बिहार राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के अंतर्गत गठित त्रिस्तरीय समिति की बैठक में शामिल हुए

बिहार राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के अंतर्गत गठित त्रिस्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2024 को श्री विजय कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से लेबर सब- कमिटि के संयोजक श्री सुधि रंजन शामिल हुए।

गया जिले से सबसे अधिक 33,182 आवेदन आए

उद्योग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गया जिले से सबसे ज्यादा 33,182 आवेदन आए हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण से 29774, पटना से 24387, रोहतास से 23315, मुजफ्फरपुर से 23287, औरंगाबाद से 22235, सारण से 20786 आवेदन आए हैं। सबसे कम आवेदन शेखपुरा से 8018, शिवहर से 3583 और अरवल से 3762 आए हैं। इसके अलावा लखीसराय से 4759, किशनगंज से 5128 आवेदन आए हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.8.2024)**

अपने बैंक खाते का अब दूसरों को यूपीआई एक्सेस दे सकेंगे

टैक्स पेमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद यूपीआई की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत अब यूपीआई में डेलिगेटेड पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसमें ग्राहक अपने बैंक अकाउंट से परिवार या परिचितों को उनके मोबाइल पर यूपीआई ट्रांजेक्शन की सुविधा दे सकेंगे। इसमें प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट भी तय की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई से आयकर समेत कोई भी टैक्स पेमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। इससे करदाता आसान और तेजी से उच्च टैक्स भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई से भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा।

9वीं बार रेपो रेट 6.5% ही, ईएमआई नहीं घटेगी : रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं मौद्रिक-नीति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पर ही स्थिर रखी है, यानी लोन की किस्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक अब कुछ ही घंटों में चेक क्लियरिंग करेंगे। अब ग्राहक का सिबिल स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। अभी यह महीने में एक बार होता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 9.8.2024)

औद्योगिक इकाइयां अब राज्य के बाहर से भी खरीद सकेंगी सस्ती ग्रीन एनर्जी

राज्य की औद्योगिक इकाइयां जल्द ही सूबे के बाहर से खुद भी सस्ती ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) खरीद सकेंगी। सिर्फ उनको बिजली घर से औद्योगिक इकाई तक बिजली लाने में उपयोग होने वाले ट्रांसमिशन लाइन का निर्धारित शुल्क राज्य की ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भुगतान करना होगा। खुद से बिजली लेने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। इसको लेकर बिहार की बिजली कंपनियों ने बिजली सप्लाइ कोड के 'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस' नियमों में संशोधन को लेकर बिहार राज्य विनियामक आयोग के समक्ष पिटीशन दाखिल की है। आयोग की मंजूरी मिलते ही नयी व्यवस्था लागू हो जायेगी। कंपनी की इस सुविधा का लाभ एक मेगावाट से कम और 100 किलोवाट से अधिक खपत भार वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक नयी व्यवस्था के लागू होने पर कल- कारखानों के संचालक अपनी मर्जी के अनुसार गैर परंपरागत यानि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियो थर्मल एवं बायोमास उत्पादित बिजली का उपभोग कर सकेंगे। उपभोक्ता चाहे तो खुद भी देश के किसी भी राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादक कंपनियों से बातचीत कर सकेंगे। अब तक राज्य के औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास वितरण कंपनियों से मिलने वाली बिजली प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। **(साभार : प्रभात खबर, 19.8.2024)**

बैंकों को म्यूल अकाउंट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश

बैंकिंग व्यवस्था में साइबर फर्जीवाड़ा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी तरह की एक समस्या है म्यूल अकाउंट। यह सुनने में जरूर अटपटा लग रहा है, लेकिन कई उपभोक्ताओं के अकाउंट का उपयोग जाने-अनजाने में मनी म्यूल के रूप में अपराधियों द्वारा किये जाने लगा है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मनी म्यूल वे लोग होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से प्राप्त धन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इन लोगों को अक्सर सोशल मीडिया, इ-मेल या नौकरी की पेशकश के जरिये धोखा दिया जाता है। आरबीआइ ने बैंकों को म्यूल अकाउंट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

कैसे किया जाता है यह फर्जीवाड़ा : पार्ट टाइम जॉब और निवेश पर अच्छे रिटर्न का लालच देकर पीड़ित को कुछ पैसे उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके बाद भरोसा हो जाने पर बड़ा निवेश करवाकर ये फर्जी लोग चंपत हो जाते हैं। इसके लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूल अकाउंट की बढ़ती समस्या को लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर (केवाइसी) के नियमों में बदलाव किया है। **(साभार : प्रभात खबर, 19.8.2024)**

Department of Information Technology
Government of Bihar
BIHAR IT POLICY 2024
Boosting Investment, Employment & Development in IT/ITes & ESDM sector and Data Centre in Bihar

Best-in-Class Fiscal Incentives

30% **Fixed Capital Subsidy** - 30% of Fixed Capital Investment up to Rs. 30 Crore including land, building, plant & machinery
Or
Interest Subvention Subsidy - 10% Interest Subvention up to 50 % of project cost or Rs 40 Crore whichever is lower, for 5 years

50% **Lease Rental Subsidy** - 50% subsidy of the lease rental amount for 5 years

25% **Energy Bill Subsidy** - Annual reimbursement of 25% of Energy Bill for 5 years

100% **Employment Generation Subsidy** - Reimbursement of 100% of the employer's contribution of ESI and EPF up to Rs 5, 000 per employee per month for 5 years

Provision of tailor-made package for mega projects with an investment above Rs. 100 Crore or generating minimum 1000 direct employment

invest.it @bihar. gov.in
Shri sumit Kumar : + 91-8527054600
Shri Jayant Yagnik : + 91-9601012691
https://state.bihar.gov.in/dit/CitizenHome. html

(Source - T. O. I , 7.8.2024)

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की षष्ठी बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की षष्ठी बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2024 को श्री संतोष कुमार सिंह, माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में नियोजन भवन में हुई। इस बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

नयी कम कर दर या पुरानी व्यवस्था के साथ रहने का मिला विकल्प

एलटीसीजी कर संशोधन के साथ वित्त विधेयक लोकसभा से मंजूर

लोकसभा ने बुधवार को 'वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024' को पारित कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने रियल एस्टेट पर हाल ही में लागू किये गये नये कैपिटल गेन टैक्स में राहत दी है, जिससे करदाताओं को नयी कम कर दर अपनाने या पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने का विकल्प मिल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को बिना 'इंडेक्सेशन' लाभ के 20 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के लिए बजट 2024-25 में रखे गये प्रस्ताव की विपक्षी दलों और कर पेशेवरों सहित विभिन्न पक्षों ने तीखी आलोचना की थी। उन्होंने सदन में वित्त विधेयक में इस संबंध में संशोधन पेश किया।

45 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक ध्वनिमत से मंजूर : लोकसभा ने 45 सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया। यह विधेयक अब राज्यसभा में चर्चा के लिए जायेगा लेकिन उच्च सदन को संविधान के अनुसार किसी 'धन विधेयक' को खारिज करने का अधिकार नहीं है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.8.2024)**

कई राज्यों में उपस्थिति वाली कंपनियां अब आइएसडी के रूप में होंगी पंजीकृत

कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाली तथा शाखा कार्यालयों के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने वाली कंपनियों को एक अप्रैल 2025 तक जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष 'इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर' (आइएसडी) के रूप में पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन करते हुए कहा था कि बहु- राज्य जीएसटी पंजीकरण वाले. व्यवसायों को सेवाओं के लिए किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) को शाखाओं के बीच वितरित करने के लिए खुद को अनिवार्य रूप से आइएसडी के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

पान मसाला कंपनियों के मशीन पंजीकृत नहीं कराने पर जुर्माना : सरकार ने पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं पर अपनी मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक अक्तूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने जाने की घोषणा की। जुर्माना उन विनिर्माताओं पर लगाया जायेगा, जो अपनी 'पैकिंग मशीनरी' को पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 8.8.2024)

जीएसटी पंजीकरण के प्रमाणीकरण के लिए 41 सुविधा केंद्र स्थापित होगें

उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में जीएसटी पंजीकरण के बायोमैट्रिक आधारित प्रमाणीकरण के लिए 41 सुविधा केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिसमें 10 सुविधा केंद्र केंद्रीय जीएसटी प्राधिकार के और 31 वाणिज्य कर विभाग के द्वारा संचालित किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि विभाग के आयुक्त-सह-सचिव को सभी काम समय पूरा कर लेने का निदेश दिया गया है ताकि जीएसटीएन द्वारा दिये गये शेड्यूल के अनुसार बिहार में अगस्त के अंत तक केंद्र शुरू हो जाये।

श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी पंजीकरण के लिए बायोमैट्रिक आधारित प्रमाणीकरण लागू करने का निदेश दिया है। इसका उद्देश्य जीएसटी निबंधन की प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाना और फर्जी चालान के माध्यम से की जा रही धोखाधड़ी की रोकथाम करना है। उन्होंने कहा कि नये जीएसटी पंजीकरण के क्रम में आवेदनों को जीएसटीएन, नयी दिल्ली द्वारा जोखिम मानकों और डाटा विश्लेषण के आधार पर चिह्नित किया जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 10.8.2024)

67वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक

जो एमएसएमई ऋण के पात्र हैं, उनकी सहायता करें बैंक

एमएसएमई की 67वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक 12.8.2024 को आरबीआई में हुई। इसमें 14 प्रमुख बैंकों के राज्य प्रमुख शामिल हुए। अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने की।

उन्होंने कहा कि ईसी एमएसएमई फोरम के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण के संबंध में बैंकों का निष्पादन तिमाही आधार पर किया जाता है। अप्रैल-जून 2024 के दौरान सदस्य बैंक अपने एनपीए को कम करते हुए अपने वार्षिक ऋण लक्ष्यों का 30 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने में सफल हुए। क्षेत्रीय निदेशक ने खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को तत्काल कार्रवाई करने और ऋण योग्य एमएसएमई को सहायता देने की सलाह दी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) से पीएमईजीपी योजना के तहत बैंकों को जल्द लक्ष्य निर्धारित करने का भी अनुरोध किया।

कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र को खंडवार ऋण में प्रगति, कोलैटेरल मुक्त ऋण, एमएसएमई समूहों को ऋण, एनपीए और सीजीटीएमएसई कवरेज सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.8.2024)

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2024 को श्री आलोक रंजन घोष, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में उनके विभागीय सभाकक्ष में हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

आईटीआर को 30 दिन में सत्यापित करने पर ही रिफंड मिलेगा

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होते ही अब रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपनी देनदारी से अधिक टैक्स चुकाने वाले करदाता ही रिफंड प्राप्त करने के हकदार हैं लेकिन इसके जरिए जरूरी है कि वे रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसे ई-सत्यापित करें।

इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर करदाता ई-सत्यापन से चूक जाते हैं तो रिफंड का दावा खारिज हो जाएगा। आईटीआर का ई-सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है।

इसलिए जरूरी है ई-सत्यापन : करदाता जिस तारीख को आईटीआर को ई-सत्यापित करता है, उसी तारीख से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर सत्यापन की तारीख से पैसा आने में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है। यदि रिटर्न में गड़बड़ है तो रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है।

अपने रिफंड की स्थिति ऐसे जांच सकते हैं : 1. आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड: डालकर लॉग इन करें। 2. माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड / डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें। 3. अब पावती संख्या पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

किस आईटीआर के लिए कितना समय : आईटीआर-1 : 10 से 15 के भीतर रिफंड मिल जाता है। यह समय सीमा उनके लिए है, जिन्होंने फॉर्म 16 के आधार पर रिटर्न जमा किया है। **आईटीआर-2 :** रिफंड आने में करीब- 20 से 45 दिन का समय लग जाता है। हालांकि, कई बार इसमें विभिन्न कारणों से देरी भी होती है। **आईटीआर-3 :** लगभग दो महीने का समय लगता है। चूंकि इस रिटर्न फॉर्म में व्यापार आय सहित कई प्रकार की जानकारियां शामिल होती हैं। जिनकी बारीकी से जांच की जाती है।

समय पर पैसा वापस पाने के लिए ये काम करें : • सटीक आईटीआर विवरण और सही बैंक खाता विवरण को सुनिश्चित करें • आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक प्रति के माध्यम से आईटीआर को सत्यापित करें • पंजीकृत ईमेल और ई-फाइलिंग. पोर्टल के माध्यम से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस की जांच करें • यदि कोई विसंगति या त्रुटि हो तो आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार अनुरोध दायर करें • समय पर अधिसूचना के लिए बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से रिफंड को ट्रैक करें।

अगर विलंब हो जाए तो : सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी ई-मेल के जरिए भेजता है। रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता रिफंड जारी करने के लिए दोबार अनुरोध कर सकते हैं। यदि दावा लंबित है तो पोर्टल पर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

इन वजहों से देरी संभव : 1. बैंक खाते का गलत विवरण दर्ज हो 2. बैंक खाते पूर्व सत्यापित न हो 3. आईटीआर में सही जानकारी न हो 4. आईटीआर की स्क्रूटनी हो 5. करदाता पर पिछली कर देनदारी हो 6. आय की गणना में गड़बड़ी हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.8.2024)

अंग्रेजों द्वारा उजाड़े गए सराफ परिवार ने दर्जनों लोगों के घरों का जलाया चूल्हा

• सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड़ (पुरी) में स्थित दुकान व घर को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया • 1944 में पटना सिटी में मारूफगंज मंडी में शुरू किया थोक कारोबार • समाज रत्न से हो चुके हैं पुरस्कृत।

80 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा उजाड़े गए सराफ परिवार ने पटना सिटी में बसकर एक सौ से अधिक लोगों के घरों का चूल्हा जलाया। 134 वर्ष प्राचीन श्री कृष्ण गोशाला के वर्तमान कोषाध्यक्ष तथा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष व महामंत्री तथा पूर्व रेलवे के जेडआरयूसीसी के सदस्य रह चुके 88 वर्षीय श्री गिरिधारी लाल सराफ अंग्रेजों के काल को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। ये बताते हैं कि मेरे दादाजी स्वर्गीय कमला प्रसाद सराफ अपने परिवार के साथ 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान में भाग लिए। इस कारण उनके पिता स्वर्गीय बनारसी लाल तथा चाचा स्वर्गीय युगल किशोर पर अंग्रेजों ने कई मुकदमे चलाकर तबाह किया। आंदोलन में दादाजी के स्वजनों के सक्रिय होने के कारण सीतामढी जिला के जनकपुर रोड पुपरी में स्थित उनकी दुकान व घर को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया।

अंग्रेजों के कहर से सहमा परिवार पैतृक ग्राम पुपरी छोड़ नेपाल तराई स्थित जलेश्वर भाग सरपंच के यहां छिपे। आंदोलन थमने पर सराफ परिवार जब वापस पुपरी लौटे तो वहां कुछ नहीं बचा था। इसके बाद पिता स्वर्गीय बनारसी लाल सराफ 1944 में पटना सिटी आकर मारूफगंज मंडी में तेल, डालडा व चीनी का थोक कारोबार प्रारंभ किए। यहां कारोबार के दौरान सराफ परिवार ने लगभग 100 लोगों को रोजगार देकर उनके घरों का चूल्हा जलाया। वे सामानों को मालदा व ढाका भी भेजते थे। स्वजनों ने मेहनत कर पटना सिटी में घर बनाए।

सराफ बताते हैं कि भागलपुर में जन्मीं माता स्वर्गीय भगवानी देवी ने स्वर्गीय खेमचंद चौधरी के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र जलाओ अभियान में सक्रिय रूप से भाग ली थी। इनके चाचा स्वर्गीय युगल किशोर सराफ को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था। गिरधारी लाल सराफ को बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन ने समाज रत्न की उपाधि से पुरस्कृत किया। उन्हें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सामाजिक कार्यों में सहभागिता के लिए सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। आपातकाल में बिहार सरकार के मूल्य निर्धारण समिति के सदस्य रह चुके हैं तथा पटना के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं। रानी सती मंदिर, पटना सिटी व भामाशाह समाज कल्याण ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं । पूरा परिवार आजादी के पहले व बाद तक देश के लिए समर्पित है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.8.2024)

चैम्बर में 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' पर कार्यशाला आयोजित

National Stock Exchange (NSE) की तरफ से Indian Social Responsibility Network (ISRN), Delhi द्वारा 25 अगस्त, 2024 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में "Social Stock Exchange" पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य **'विकसित भारत के उद्देश्यों में सामाजिक उद्यमों का सशक्तिकरण'** था।

कार्यशाला का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया गया जिसमें चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए। श्री अग्रवाल को ISRN की तरफ से पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर सम्मालित किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री संजय पासवान, माननीय पूर्व विधान पार्षद, श्री संतोष गुप्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आई.एस.आर.एन. भी उपस्थित थे।

बेतिया और बक्सर के नवानगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी

बिहार के पहले मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होंगे। दोनों जगहों पर 125-125 एकड़ क्षेत्र में इसका विकास होगा।

उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि इन दोनों जगहों पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बियाडा) द्वारा मानकों के अनुरूप इसे विकसित किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के विकास से एक नए औद्योगिक काल का शुभारंभ होगा। उन्होंने बिहार में पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण का मकसद था कि यह दोनों स्थान एसईजेड के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यह निरीक्षण फाल्टा एसईजेड ने 26 और 27 जून को किया था । अब बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालय ने सहमति दे दी है।

एसईजेड से निवेश को मिलेगा बढ़ावा : मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) ऐसा क्षेत्र होता है, जहां उद्योग को बढ़ावा देने लायक माहौल होता है। यहां स्थापित उद्योग को कई तरह के शुल्क में छूट मिलती है। कई सेक्टर में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। व्यापार, भंडारण, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। बिहार में दो जगहों पर एसईजेड विकसित होने से राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे सेक्टर या सेवाओं की पहचान करके इनकी इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.8.2024)

छोटी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का भी कराना होगा निबंधन

उद्योग विभाग ने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमइ) योजना में स्थापित की गयी इकाइयों का फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) का रजिस्ट्रेशन कराएं. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संबंधित संस्था के फूड सेफ्टी ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर कवायद शुरू की जाए।

आधिकारिक जानकारों के अनुसार हाल ही में पीएमएफएमइ योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान पाया गया कि योजना के तहत स्थापित इकाइयों के उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जानी चाहिए। इस दौरान निर्देश दिये गये कि योजना में स्वीकृत ऋण दिलाने की कार्रवाई उसी अनुपात में सुनिश्चित की जाए। साथ ही महाप्रबंधकों को हिदायत दी गयी कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आवेदन के भुगतान अगस्त तक हर हाल में कर दिये जाएं।

(साभार : प्रभात खबर, 20.8.2024)

विद्युत विनियामक आयोग की जनसुनवाई पूरी

पटना में तीन, गांवों में 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलने का रास्ता हुआ साफ

राजधानी पटना में तीन दिन, नगरपालिका क्षेत्र में सात दिन और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन मिलने की संभावना है। साथ ही बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब बिजली कंपनी के कार्यालय का लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस नयी व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली सप्लाइ कोड में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आयोग ने 21.8.2024 को जनसुनवाई की। आयोग के सभाकक्ष में जनसुनवाई के दौरान साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों सहित आम बिजली उपभोक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। अगले एक महीने में आने और अगले दो महीने में नयी व्यवस्था लागू होने की संभावना है।

उपभोक्ताओं ने दिया सुझाव : इस जनसुनवाई में एक उपभोक्ता ने आयोग को लिखित सुझाव दिया है कि नये कनेक्शन के लिए अधिकारी जब स्थल का निरीक्षण करें तो आवेदक की उपस्थिति का भी प्रमाण सुनिश्चित होना चाहिए वहीं आवेदक का असहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही आवेदन रद्द होना चाहिए, साथ ही यह सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर होना चाहिए। आरा के उपभोक्ता ने लिखित सुझाव में आयोग से कहा है कि नया कनेक्शन के आवेदन के साथ ही आवश्यक फीस जमा करने का प्रावधान होना चाहिए।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.8.2024)

चार भागों में बंटा पटना सदर अंचल पाटलिपुत्रा, पटना सिटी व दीदारगंज होंगे नये अंचल

राज्य के सबसे बड़े पटना सदर अंचल के भौगोलिक क्षेत्र में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किये इसे चार भागों में बांटने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से पटना सदर अंचल के अलावा पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज नये अंचल होंगे। कैबिनेट ने सभी नव प्रस्तावित अंचलों के हलका, मौजा व पुलिस थानों का भी बंटवारा कर दिया है। कैबिनेट विभाग के

नाबार्ड की ओर से गैर-कृषि क्षेत्र के लिए प्रति इकाई कुल वित्तीय परिव्यय (TFO) तय करने हेतु आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष एवं महामंत्री सम्मिलित हुए

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामिण विकास बैंक की ओर से दिनांक 28 अगस्त, 2024 को गैर-कृषि क्षेत्र के लिए प्रति इकाई कुल वित्तीय परिव्यय तय करने हेतु राज्य स्तरीय बैठक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, पटना स्थित सभाकक्ष में हुई।

उक्त बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय उपस्थित हुए।

अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से यह प्रभावी होगा। वर्तमान में पटना सदर अंचल में दो अनुमंडल पटना सदर व पटना सिटी अनुमंडल और 34 पुलिस थाने हैं। इसमें चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिनमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब क्षेत्र शामिल हैं। पटना सदर अंचल को चार भागों में बंटने से जिले में अंचलों की संख्या 23 से बढ़ कर 26 हो जायेगी। अब पटना सदर व पटना सिटी अनुमंडल में दो-दो अंचल होंगे। सदर अंचल कार्यालय में नगर निगम के 27 वार्ड आयेंगे।

जानिए आपका इलाका किस अंचल में पड़ेगा : 1. पटना सदर अंचल : बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, श्रीकृष्णापुरी, जक्कनपुर, गांधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर और सचिवालय थाना क्षेत्र **2. पाटलिपुत्र अंचल :** दीघा, राजीव नगर, हवाईअड्डा, पाटलिपुत्र, शास्त्रीनगर व गर्दनीबाग थाना क्षेत्र **3. पटना सिटी अंचल :** बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजेकलां, चौक, मालसलामी, मेंहदीगंज और अगमकुआं थाना क्षेत्र **4. दीदारगंज अंचल :** दीदारगंज, नदी थाना और बाइपास थाना क्षेत्र

(साभार : प्रभात खबर, 22.8.2024)

उपभोक्ताओं की तरह उद्यमियों को भी घर बैठे मिलेगा बिजली कनेक्शन

आम उपभोक्ताओं की तरह उद्यमियों को भी अब घर बैठे बिजली कनेक्शन मिलेगा। 150 किलोवाट तक के औद्योगिक कनेक्शन के लिए उद्यमियों को सिर्फ आवेदन करना होगा। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जिम्मेदारी बिजली कंपनी खुद उठायेगी। बिजली कंपनी ने नियम में बदलाव को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद नया नियम लागू होते ही उद्यमियों को आसानी से कनेक्शन मिलने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था में उद्यमियों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले उन्हें संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन बनवाना पड़ता है। इसके बाद तार-पोल भी अपने स्तर से ही गड़वाना पड़ता है। मीटर भी खुद ही खरीद, कर लगाना पड़ता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.8.2024)

पैन और आधार के पेच में अटक रहा रिफंड का दावा

अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन दावों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाल दिया है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल ख पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आ रही शिकायतें : इस बार रिफंड को लेकर काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं। कुछ मामलों में रिटर्न भरने के एक से दो महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला है। लोग सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे पैन-आधार को सही समय पर लिंक न करना भी बड़ा कारण है। करदाता अब इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.8.2024)**

कलस्टर में बागवानी योजना को मिली स्वीकृति

13.50 करोड़ की योजना स्वीकृत, पटना सहित 35 जिलों में चलेगी योजना ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, नींबू की खेती को बढ़ावा

'गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी' थीम के तहत उद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित. किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में कलस्टर में बागवानी योजना को स्वीकृति मिली है।

वर्ष 2024-25 से 2025-26 में दो वर्षों के लिए 13 करोड़ 50 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 2024-25 के लिए 8.77 करोड़ है। पटना सहित 35 जिलों के लिए यह योजना है। पहले आओ पहले पाओ-सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कलस्टर में योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।

किसान को डीबीटी पोर्टल पर एवं समूह को पंजीकृत होना आवश्यक है। कृषि विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar. gov.in पर उपलब्ध कलस्टर में बागवानी की योजना पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।

इन जिलों के लिए योजना : अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल और वैशाली।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.8.2024)

उपभोक्ताओं की जमानत राशि पर मिलेगा 6% ब्याज

पटना समेत राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को अब जमानत राशि पर ब्याज मिलेगा। ब्याज की राशि छह फीसदी सलाना के दर से दी जाएगी। ब्याज राशि हर साल मिलेगी। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जुटकर यह राशि आएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.8.2024)**

चैम्बर के प्रतिनिधि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2024 को श्री रवि प्रकार, निदेशक, फूड प्रोसेसिंग, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभा कक्ष में आयोजित हुई। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता शामिल हुए।

MOST IMPORTANT NOTICE

For the benefit and resolving the problems of traders , online video conference is organised every Monday from 3 PM to 4 PM, on the following link. This meeting is attended by Director level officers of DPIIT and Ministry Of Commerce. The issues are discussed and understood. The traders raised issues are also expected to send representation in writing to mail of Chairman, NTWB so that the representation is forwarded to concerned department and followed up.

Mail id of Chairman is chairman-ntwb@qov.in

Link : https://railtel.webex.com/railtel/j.php?MTID=mc69cd048103c49413003e7d7214f6b9c

PLEASE JOIN VC LINK on 2ND SEPTEMBER 2024 at 3:00 PM to 4:00 PM (MONDAY).

Open VC link for retail traders for holding Weekly Interactive Session

https://railtel.webex.com/railtel/j.php?MTID=mc69cd048103c49413003e7d7214f6b9c

You can simply connect by clicking on above link & Enter Name & Email address & start.

OR

Enter below Meeting number & Password to connect

Meeting number: 2512 874 4627 Password: 12345

JOIN VC LINK ON EVERY MONDAY AT 3 - 4 PM.

We encourage you to join us every Monday from 3-4 PM for these interactive sessions. Following the meeting, please send your detailed representation, suggestions & feedback to chairman-ntwb@gov.in for further review.

regards

Devesh Rastogi

Member, National Traders Welfare Board

Mobile: 9140970032

बिल्डरों को हर तीन माह में बताना होगा, अपार्टमेंट में कितना हुआ काम

सूबे में चल रही रियल इस्टेट परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट में देरी अब प्रमोटर यानी बिल्डरों को काफी महंगी पड़ेगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने ऐसे मामलों में प्रमोटरों पर बड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। इसको लेकर बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2024 को प्रभावी कर दिया गया है।

नियमावली के मुताबिक सभी बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि कोई प्रमोटर निर्धारित तिथि तक ऐसा करने में विफल रहा, तो उस पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का पांच फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रावधान के मुताबिक तिमाही रिपोर्ट अपलोड करने में एक से 15 दिन का विलंब होने पर 25 हजार रुपये, 16 से 30 दिन का विलंब होने पर 50 हजार रुपये, 31 से 60 दिन का विलंब होने पर 1.25 लाख रुपये और 60 दिनों से अधिक विलंब होने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही विवरणी पुनः अपलोड करने की सुविधा मिलेगी।

यही नहीं, यदि प्रमोटर तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अपूर्ण जानकारी या अपूर्ण फैक्ट देता है तो पकड़े जाने पर उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, तिमाही रिपोर्ट में गलत जानकारी या फैक्ट देने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

जियो टैग तस्वीर भी अपलोड करना अनिवार्य : बिहार रेरा ने तिमाही रिपोर्ट के साथ डिस्प्ले बोर्ड की जियो टैग तस्वीर अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसमें विलंब किये जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। एक से 15 दिन का विलंब होने पर 10 हजार रुपये, 16 से 30 दिन का विलंब होने पर 30 हजार रुपये, 31 से 60 दिन का विलंब होने पर 75 हजार रुपये और 60 दिनों से अधिक का विलंब होने पर दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों को भी किया गया सख्त : बिहार रेरा ने निर्धारित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों को भी सख्त किया है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में बहुमत आवंटियों की सहमति एवं उनके आवंटन पत्रों के साथ परियोजना समाप्ति तिथि के तीन महीने पहले पूर्ण आवेदन करना अनिवार्य है। विलंब होने पर रजिस्ट्रेशन समाप्ति के बाद तीन महीने तक आवेदन करने पर दो लाख रुपये, तीन से छह महीने तक आवेदन करने पर पांच लाख रुपये और रजिस्ट्रेशन समाप्ति के छह महीने बाद आवेदन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 20.8.2024)**

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296